पत्रावली वादी अधिवक्ता
दिनांक 10.9.24 को पेश हो।

NOT Press
Ad. Allowance

10.9.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर नोट प्रेस अंकित करते हुए वाद नहीं चलाना चाहने का कथन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वर्तमान में तामिल हेतु नियत है। वादी अधिवक्ता नोट प्रेस अंकित कर वाद चलाना नहीं चाहता है जिससे इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर नोट प्रेस अंकित करने से ~~अब कोई~~ प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे उजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रियाज अली)
IAS